



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-03082026-275091
CG-MP-E-03082026-275091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4063]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948

No. 4063]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे (निर्माण)

अधिसूचना

जबलपुर, 30 जुलाई, 2026

का.आ. 4234(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम 2008) की धारा 20 क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिला में विशेष रेल परियोजना “सतना – मानिकपुर खण्ड: खुटहा – चितहरा स्टेशनों के मध्य कि.मी. 1213/8-9 पर, समपार फाटक संख्या – 397 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात्, सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), तहसील – मझगवां, जिला – सतना (म0प्र0) को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत में या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच यदि कोई हो, जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात आदेश, द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है, और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

भारतीय रेलवे की विशेष परियोजना मध्य प्रदेश राज्य के सतना – मानिकपुर खण्ड: खुटहा – चितहरा

स्टेशनों के मध्य कि.मी. 1213/8-9 पर, समपार फाटक संख्या – 397 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सतना	मझगवां	चौरेही	149	निजी	सिंचित	0.152
				226	निजी/शासकीय	सिंचित/ असिंचित	0.437
				386	निजी	सिंचित	0.035
				388	निजी	सिंचित	0.204
				389	निजी/शासकीय	सिंचित/ असिंचित	0.119
				400	निजी	सिंचित	0.435
				409	निजी	सिंचित	0.275
				411	शासकीय	असिंचित	0.021
				412	शासकीय	असिंचित	0.054
				413	शासकीय	असिंचित	0.039
				416	निजी	सिंचित/ रास्ता	0.067
				417	निजी	सिंचित	0.101
				418	निजी	सिंचित	0.097
				419	निजी	सिंचित	0.063
				423	निजी	सिंचित	0.020
				424	शासकीय	असिंचित	0.032
				425	निजी	सिंचित	0.277
				426	निजी	असिंचित	0.037

				232/2	निजी	सिंचित	0.013
				414/1	निजी	सिंचित	0.019
				415/1	निजी	सिंचित / रास्ता	0.086
				415/2	निजी	सिंचित	0.022
				कुल योग			2.605

[फा. सं. WCR-JBPC0ENGC(MICS)/55/2025-O/oDyCE/C-II/STA/397/20(A)]

जोन सिंह मीना, मुख्य अभियंता/नि-IV/मुख्यालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway Construction Organization)

NOTIFICATION

Jabalpur, the 30th July, 2026

S.O. 4234(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20(A) of the Railways Act, 1989 (as Amendment Act 2008), the Central Government, After being satisfied that the land, brief description of which is given in the Schedule below, is required for public purpose for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project “**Land to be acquired “Satna-Manikpur section: Proposed construction of ROB in lieu of level crossing no. 397 at Km 1213/8-9 between Khutaha - Chitahra Sections”**” under Jabalpur Division of West Central Railway in the District Satna in the state of Madhya Pradesh., hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 (D) of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Officer i.e. **Competent Authority and Sub-Divisional Officer (Revenue), Tehsil - Majhgawan, Distt. - Satna (M.P.)** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the Competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20 (D) of the said Act shall be final.

The land plan and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired “Satna - Manikpur section: Proposed construction of ROB in lieu of level crossing no. 397 at Km 1213/8-9 between Khutaha - Chitahra Stations of West Central Railway” in the District Satna in the state of Madhya Pradesh.

S. No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Satna	Majhgawan	Chaurehi	149	Private	Irrigated	0.152
				226	Private/Govt.	Irrigated/unirrigated	0.437
				386	Private	Irrigated	0.035
				388	Private	Irrigated	0.204
				389	Private/Govt.	Irrigated/unirrigated	0.119
				400	Private	Irrigated	0.435
				409	Private	Irrigated	0.275
				411	Govt.	Unirrigated	0.021
				412	Govt.	Unirrigated	0.054
				413	Govt.	Unirrigated	0.039
				416	Private	Irrigated/Road	0.067
				417	Private	Irrigated	0.101
				418	Private	Irrigated	0.097
				419	Private	Irrigated	0.063
				423	Private	Irrigated	0.020
				424	Govt.	Unirrigated	0.032
				425	Private	Irrigated	0.277
				426	Private	Unirrigated	0.037
				232/2	Private	Irrigated	0.013
				414/1	Private	Irrigated	0.019
				415/1	Private	Irrigated/Road	0.086
				415/2	Private	Irrigated	0.022
				Total			2.605

[F. No. WCR-JBPC0ENGC(MICS)/55/2025-O/oDyCE/C-II/STA/397/20(A)]

JON SINGH MEENA, Chief Engineer/Construction-IV, HQ